14/02/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उप.।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि प्रार्थी ने उसके द्वारा धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि ग्राम रघुनाथपुरा के खसरा नं. 708, 713 कुल रकबा 0.7500 हेक्टर में बतौर सहखातेदार दर्ज अपने नाम नगा पुत्र पुना को त्रुटिपूर्ण बताते हुये अपना सही नाम जगा पुत्र पुना दर्ज किये जाने की मांग की जा रही है। परंतु इस संबंध में पटवारी हल्का दुदनी व TDR वाली द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट के अनुसार मिसल बंदोबस्त संवत 2037 से 2057 में भी प्रार्थी का नाम नगा पुत्र पुना ही बतौर सहखातेदार दर्ज है। धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई त्रुटियों को ही दुरस्त करने के आदेश उपखण्ड अधिकारी प्रदान कर सकते है प्रार्थी द्वारा भू-प्रबन्ध से पूर्व के रिकॉर्ड में जगा पुत्र पुना नाम दर्ज होने का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण इन्द्राज दुरस्ती का नहीं होने प्रार्थना पत्र प्रार्थी अदम सबूत में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
SDO
[illegible] (राज.)